

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 3/2022 वादपत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955  
जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

-वादी

-: बनाम :-

- 1- जमनालाल पिता भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 2- नारायणीबाई पत्नी भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 3- प्रकाश पिता पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 4- भंवरलाल पिता भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 5- भागवन्ती पुत्री पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 6- मुन्ना पुत्री भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 7- रामी पत्नी पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 8- लीला पुत्री पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 9- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा उठेल खेडा पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

आ. नं.	रकबा
60	0.30
1	0.30

- 2- जमनालाल पिता भैरूलाल 383/7600 नारायणी बाई पत्नी भैरूलाल 383/7600 प्रकाश पिता पोखरलाल 3033/15200 भंवरलाल पिता भैरूलाल 383/7600 भागवन्ती पुत्री पोखरलाल 3033/15200 मुन्ना पुत्री भैरूलाल 77/1520 रामी पत्नी पोखरलाल 3033/15200 लीला पुत्री पोखरलाल 3033/15200 जाट सा. देह

आ. नं.	रकबा
64	0.68
65	0.84
2	1.52

मौजा निकुंभ हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

आ. नं.	रकबा
2891	0.44
1	0.44

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



PTO

प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2024/287

दिनांक : 21/12/2024

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 3/2022

वादपत्र धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट. 1955

जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

-वादी

-: बनाम :-

- 1- जमनालाल पिता भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 2- नारायणीबाई पत्नी भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 3- प्रकाश पिता पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 4- भंवरलाल पिता भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 5- भागवन्ती पुत्री पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 6- मुन्ना पुत्री भैरूलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 7- रामी पत्नी पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 8- लीला पुत्री पोखरलाल जाट नि. उठेलखेडा
- 9- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि -  
मौजा उठेल खेडा पटवार हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

आ. नं.	रकबा
60	0.30
1	0.30

- 2- जमनालाल पिता भैरूलाल 383/7600 नारायणी बाई पत्नी भैरूलाल 383/7600 प्रकाश पिता पोखरलाल 3033/15200 भंवरलाल पिता भैरूलाल 383/7600 भागवन्ती पुत्री पोखरलाल 3033/15200 मुन्ना पुत्री भैरूलाल 77/1520 रामी पत्नी पोखरलाल 3033/15200 लीला पुत्री पोखरलाल 3033/15200 जाट सा. देह

आ. नं.	रकबा
64	0.68
65	0.84
2	1.52

मौजा निकुंभ हल्का निकुंभ की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- जगन्नाथ पिता पृथ्वीराज जाट नि. झाडोली तह. भदेसर

आ. नं.	रकबा
2891	0.44
1	0.44

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सरे ईजलास में सुनाया गया।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी